क्रम-संख्या—292

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 27 दिसम्बर, 2004

पौष 6, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1540/सात-वि-1—1(क) 36-2004

लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2004

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2004 पर दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कतिपय अधिनियमों को निरसित करने के लिए

अधिनियम

चूँकि यह समीचीन है कि कतिपय अधिनियम, जिनका प्रायः अब कोई प्रयोग नहीं रह गया है, स्पष्टतः और विशिष्टतः निरसित कर दिये जायं;

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2004 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

कतिपय अधिनियमों का निरसन

2–इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियम एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

अपवाद

3–धारा 2 में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम के निरसन का प्रभाव किसी अन्य ऐसे अधिनियम पर न पड़ेगा जिसमें निरसित अधिनियम प्रयुक्त, नियमित अथवा निर्दिष्ट किया गया हो;

और यह अधिनियम पहले से की गई या हुई किसी बात की अथवा पहले से उपार्जित, उत्पन्न अथवा उपगत किसी अधिकार, आगम, आभार अथवा दायित्व की अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपचार या कार्यवाही की, अथवा किसी ऋण, शास्ति, आभार, दायित्व, दावे या माँग से मुक्ति या उसके उत्सर्जन अथवा पहले से स्वीकृत किसी क्षतिपूर्ति की या किसी अतीत के कृत्य या वस्तु के प्रमाण की बैधता, अवैधता, प्रभाव अथवा परिणाम पर प्रभाव न डालेगा;

और न यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम पर या वकालत, वृत्ति या प्रक्रिया के संस्थापित अधिकार क्षेत्र, प्रकार अथवा दौरान पर, अथवा वर्तमान प्रथा, रीति रिवाज, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, विमुक्ति पर अथवा नियुक्ति पर ही कोई प्रभाव डालेगा, भले ही वे एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, में अथवा से, किसी भी रीति से क्रमशः संपुष्ट, अभिज्ञात अथवा व्युत्पन्न हुए हों;

और न इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियम के निरसन के परिणामस्वरूप किसी भी क्षेत्राधिकार, पद, रीति-रिवाज, दायित्व, अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, विमुक्ति, प्रथा, वृत्ति, प्रक्रिया अथवा अन्य किसी विषय अथवा वस्तु का, जो सम्प्रति विद्यमान अथवा प्रवृत्त न हो, पुनः प्रचलन अथवा पुनः प्राप्ति ही हो सकेगी।

अनुसूची
(देखिये धारा 2)
निरसन

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम
1	2	3
1956	30	उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1956
1957	5	उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 1956
1958	42	उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1958

उद्देश्य और कारण

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विनियमीकरण समिति ने अपने प्रथम और द्वितीय प्रतिवेदनों को क्रमशः नवम्बर, 2000 और जुलाई, 2001 में प्रस्तुत किया था और उक्त प्रतिवेदनों में की गयी अपनी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए निवेदन किया था। उक्त समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय अधिनियमितियों को निरसित करने की भी सिफारिश की थी। उक्त प्रतिवेदनों पर सम्यक् विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित अधिनियमितियों को निरसित किया जाय :–

(1) उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1956

(2) उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 1956

(3) उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1958

तद्नुसार उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।